न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ

पीठासीन अधिकारी-गितेश श्री मालवीय (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- डिक्री 35 सन् 2015

पंजीयन दिनांक :- 08.05.2015

1. भावेश पिता स्व0 हरिशंकर आमेटा निवासी फलवा तहसील निम्बाहेडा जिला चितौड़गढ
 1/1. किशनलाल पिता भावेश ब्राह्मण निवासी फलवा तहसील निम्बाहेडा जिला चितौड़गढ
 1/2. अनिल पिता भावेश ब्राह्मण निवासी फलवा तहसील निम्बाहेडा जिला चितौड़गढ
 1/3. हेमलता पुत्री भावेश पत्नी अभिषेक ब्राह्मण निवासी फलवा हाल मुकाम बिछौर तहसील बेगूं जिला चितौड़गढ
 1/4. सुगन देवी बेवा भावेश ब्राह्मण निवासी फलवा तहसील निम्बाहेडा जिला चितौड़गढ
2. लोकेन्द्र पिता निरंजन आमेटा निवासी जे0के0 सीमेन्ट कॉलोनी, कैलाशनगर निम्बाहेडा जिला चितौड़गढ
3. रजनीश पिता निरंजन आमेटा निवासी जे0के0 सीमेन्ट कॉलोनी, कैलाशनगर निम्बाहेडा जिला चितौड़गढ
4. हेमेन्द्र पिता निरंजन आमेटा निवासी हुडको कॉलोनी निम्बाहेडा जिला चितौड़गढ
5. सोनल पिता स्व0 निरंजन पत्नी प्रमोद शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी खोरिया तहसील व जिला प्रतापगढ हाल मुकाम आदित्य सीमेन्ट वर्क्स मीरा कॉलोनी शम्भुपरा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चितौड़गढ

-अपीलांटगण

विरूद्ध

1. कल्पना पुत्री हरिशंकर पत्नी शांतिलाल ब्राह्मण निवासी फलवा हाल मुकाम नाथद्वारा जिला राजसमंद
2. धर्मिष्ठा पुत्री हरिशंकर पत्नी मदनलाल ब्राह्मण निवासी फलवा तहसील निम्बाहेडा जिला चितौड़गढ
3. राजस्थान सरकार जरिये जिलाधीश, चितौड्गढ
4. भूमिधारी जरिये तहसीलदार निम्बाहेड़ा जिला चितौडगढ

-रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा
प्रकरण संख्या 162/2014 वाद निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.03.2015

वक्त बहस उपस्थित- 1. सुरेन्द्र कुमार ओझा- अधिवक्ता अपीलान्ट
2. कौशल भराड़िया- अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2
3. रेस्पोडेन्ट सं. 3 व 4 बावजूद सूचना अनुपस्थित

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ

निर्णय

दिनांक :- 07.07.2023

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ विचारण न्यायालय में अपीलांटगण वादीगण ने रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादपत्र धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम फलवा में खसरा संख्या 374, 501 से 504 व 509 कुल किता 6 कुल रकबा 2.29 हैक्टेयर कृषि आराजीयात अवस्थित है। उपर्युक्त आराजीयात में अपने बनने वाले हिस्से को श्री उंकारलाल पिता विट्ठल लाल ब्राह्मण ने 600 रूपये में रूकमणी बाई पत्नी हरिशंकर ब्राह्मण को विक्रय कर दी। विक्रय पत्र के आधार पर ग्राम पंचायत फलवा द्वारा नामान्तरण संख्या 397 दिनांक 19.10.1977 को स्वीकृत किया तथा बाद में संशोधित नामान्तरण संख्या 400 की स्वीकृति से रूकमणी पत्नी हरिशंकर ब्राह्मण का 1/3 हिस्सा दर्ज हुआ। रूकमणी बाई का दिनांक 07.02.2010 को स्वर्गवास हो गया जिनके दो पुत्र निरंजन व भावनेश हुये तथा दो पुत्रियां कल्पना व धर्मिष्ठा हुई। उपर्युक्त नामान्तरणों के आधार पर रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी संख्या 4 ने राजस्व अभिलेखों में इसका अमल नहीं किया। अपीलांटगण वादीगण के नाम विवादित आराजीयात के 1/3 हिस्से की खातेदारी घोषणा फरमाई जावे व रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द करवाया जावें।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांटगण वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद वादी अस्वीकार किया जाकर दिनांक 12.03.2015 को निर्णय एवं डिक्री जारी किये गये जिससे असंतुष्ट होकर अपीलान्टगण वादीगण ने इस न्यायालय मे प्रथम अपील प्रस्तुत की।

अपीलान्टगण वादीगण की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण के सम्मन नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 जरिये अधिवक्ता उपस्थित। रेस्पोडेन्ट सं. 3 व 4 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर शामिल पत्रावली की गई। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्टगण वादीगण ने अपनी बहस मे अपील मेमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलान्टगण वादीगण ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे वादपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम फलवा की वादग्रस्त कृषि आराजीयात में अपने बनने वाले हिस्से को श्री उंकारलाल पिता विट्ठल लाल ब्राह्मण ने 600 रूपये में रूकमणी बाई पत्नी हरिशंकर ब्राह्मण को विक्रय कर दिया जिसके आधार पर ग्राम पंचायत फलवा द्वारा नामान्तरण संख्या 397 दिनांक 19.10.1977 को स्वीकृत किया तथा बाद में संशोधित नामान्तरण संख्या 400 की

स्वीकृति से रुकमणी पत्नी हरिशंकर ब्राह्मण का 1/3 हिस्सा दर्ज हुआ। रुकमणी बाई का दिनांक 07.02.2010 को स्वर्गवास हो गया जिनके अपीलांटगण व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 उतराधिकारी है। उपर्युक्त नामान्तरणों की सत्यापित प्रतियां प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी संख्या 4 ने नामान्तरणों का राजस्व अभिलेखों में अमल नहीं किया। दिनांक 03.03.2015 को अपीलांटगण वादीगण एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 प्रतिवादीगण के मध्य आपसी समझौता हो जाने से राजीनामा प्रस्तुत किया गया जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत में दिनांक 12.03.2015 को अपने निर्णय में रिकार्ड से मेल नही खाना अंकित करते हुये अस्वीकार कर दिया जबकि राजीनामा रिकार्ड से मेल खाता है। तत्कालीन खातेदार उंकारलाल ने अपना हिस्सा विक्रय किया जिसके आधार पर उपर्युक्त नामान्तरण स्वीकृत हुये। मौके पर आदिनांक कब्जा है। अन्त में अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 प्रतिवादीगण ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय में हमारे द्वारा इकबालिया जवाब प्रस्तुत किया गया। अपीलांटगण वादीगण एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 प्रतिवादीगण के मध्य आपसी समझौता हो जाने से राजीनामा प्रस्तुत किया गया जो विचारण न्यायालय द्वारा तस्दीक किया गया जिसे अस्वीकार करते हुये वाद निरस्त किया गया है जो अवैध है। अन्त में राजीनामा के आधार पर प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओ की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। अपीलांटगण वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में वादपत्र खातेदारी घोषणा बाबत प्रस्तुत किया। दिनांक 03.03.2015 को अपीलांटगण वादीगण एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 प्रतिवादीगण के मध्य आपसी राजीनामा हो जाना कथन करते हुये राजीनामा प्रस्तुत किया गया जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत में दिनांक 12.03.2015 को अस्वीकार करते हुये अपने निर्णय में उल्लेखित किया कि "वादग्रस्त आराजीयात के वर्तमान में खातेदार भंवरलाल, गोपाल, श्यामलाल, कैलाश, रमेश, मंजू पिता लक्ष्मीलाल सोहनी बाई पत्नी लक्ष्मीलाल 1/8 हि.ब. बंशीलाल, नंदकिशोर, मगनीराम पिता उंकारलाल 3/8 सत्यनारायण, बालमुकुन्द, कैलाश, ओम, राजू पिता वरदीचन्द 1/2 हि.ब. दर्ज रेकार्ड है। सत्यनारायण की विरासत से कलाबाई पत्नी स्वर्गीय सत्यनारायण ब्राह्मण का नाम दर्ज हुआ है। वादीगण ने वादपत्र में बतौर प्रतिवादीगण के रूप में जमाबन्दी में दर्ज खातेदारों को प्रतिवादीगण कायम नही किया है। प्रतिवादीगण रेकार्डेड खातेदार है उन्हें बिना सुने किसी भी प्रकार का निर्णय करना प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध होगा। पत्रावली पर प्रस्तुत राजीनामा वादपत्र तथा राजस्व रेकार्ड के अनुकूल नही है तथा न ही तर्कसंगत है। विधिसम्मत भी नहीं है। अतः प्रस्तुत राजीनामा खारिज किया जाता है। वादीगण को हिदायत दी जाती है कि वादपत्र को प्रोपर वे में प्रस्तुत करे।" इस प्रकार आवश्यक पक्षकारों को वाद में संयोजित नही करने Non Joinder of parties एवं राजीनामा विधि अनुकूल नहीं होने के आधार पर वाद वादी निरस्त किया गया है। उक्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़

विवेचन अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है। अपीलांट्गण वादीगण द्वारा प्रस्तुत अपील में कोई नवीन सारभूत तथ्य प्रस्तुत नही किये गये है जिससे प्रस्तुत अपील सारहीन होकर निरस्तनीय पाई गई है।

फलस्वरूप अपील अपीलांट्गण अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा द्वारा प्रकरण संख्या 162/2014 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.03.2015 को यथावत रखा जाता है।

डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 07.07.2023 को खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा की पत्रावली अविलम्ब लौटाई जावें।

07.07.2023

(गितेश श्री मालवीय)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ (राज0)

संख्यांक 9

अपील में डिक्री

(आ. 41 नियम 35 जाप्ता दीवानी)

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :- गितेश श्री मालवीय, (आर.ए.एस)

अपील सं.:- 35/2015/डिक्री पंजीयन दिनांक 08.05.2015

1. भावेश पिता स्व0 हरिशंकर आमेटा निवासी फलवा तहसील निम्बाहेडा जिला चितौड़गढ
   1/1. किशनलाल पिता भावेश ब्राह्मण निवासी फलवा तहसील निम्बाहेडा जिला चितौड़गढ
   1/2. अनिल पिता भावेश ब्राह्मण निवासी फलवा तहसील निम्बाहेडा जिला चितौड़गढ
   1/3. हेमलता पुत्री भावेश पत्नी अभिषेक ब्राह्मण निवासी फलवा हाल मुकाम बिछौर तहसील बेगूं जिला चितौड़गढ
   1/4. सुगन देवी बेवा भावेश ब्राह्मण निवासी फलवा तहसील निम्बाहेडा जिला चितौड़गढ
2. लोकेन्द्र पिता निरंजन आमेटा निवासी जे0के0 सीमेन्ट कॉलोनी, कैलाशनगर निम्बाहेडा
3. रजनीश पिता निरंजन आमेटा निवासी जे0के0 सीमेन्ट कॉलोनी, कैलाशनगर निम्बाहेडा
4. हेमेन्द्र पिता निरंजन आमेटा निवासी हुडको कॉलोनी निम्बाहेडा जिला चितौड़गढ
5. सोनल पिता स्व0 निरंजन पत्नी प्रमोद शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी खोरिया तहसील व जिला प्रतापगढ हाल मुकाम आदित्य सीमेन्ट वर्क्स मीरा कॉलोनी शम्भुपरा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चितौड़गढ

–अपीलान्ट्स

बनाम

1. कल्पना पुत्री हरिशंकर पत्नी शांतिलाल ब्राह्मण निवासी फलवा हाल मुकाम नाथद्वारा जिला राजसमंद
2. धर्मिष्ठा पुत्री हरिशंकर पत्नी मदनलाल ब्राह्मण निवासी फलवा तहसील निम्बाहेडा जिला चितौड़गढ
3. राजस्थान सरकार जरिये जिलाधीश, चितौडगढ
4. भूमिधारी जरिये तहसीलदार निम्बाहेड़ा जिला चितौडगढ

–रेस्पोडेन्ट्स

विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा प्रकरण संख्या 162/2014 निर्णय व डिकी दिनांक 12.03.2015 अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात : यह अपील दिनांक 07.07.2023 को अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र कुमार ओझा, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता कौशल भराड़िया की उपस्थिति में राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ के समक्ष सुनवाई के लिये आने पर यह आदेश दिया जाता है कि–

अपील अपीलांटगण अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा द्वारा प्रकरण संख्या 162/2014 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.03.2015 को यथावत रखा जाता है।

इस अपील के खर्चे, जिनका विवरण नीचे दिया गया है और जिनकी राशि 0 रूपये है,........................ द्वारा दिये जाने है। मूल वाद के खर्चे .... द्वारा दिये जाने हैं ।

यह आज दिनांक **07.07.2023** को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई है।

7/7/2023

(गितेश श्री मालवीय)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
चित्तौड़गढ